विचार बिन्दु

घृणा पाप से करो, पापी से नहीं। –महात्मा गाँधी

बड़ी देर कर दी हुज़ूर आते, आते....

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और अन्य दोनों आयुक्तों की बैठक दिनाँक 26 सितंबर 2026 को हुई। इसके बाद आयोग द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से, विशेषकर ज्ञानेश कुमार पर विभिन्न राजनैतिक दलों द्वारा लगाए गए स्वत: सिद्ध हो जाते हैं। जिस प्रकार की विज्ञप्ति जारी की गई है, वह चुनाव आयोग द्वारा अपने दोषों का कबूलनामा ही है।

इस विज्ञप्ति के दो भाग हैं, एक, आयोग द्वारा पूर्व के निर्णयों में कुछ महत्वपूर्ण संशोधन करके मतदाताओं को राहत दी गई है तथा है और दूसरे भाग में इंडियन एक्सप्रेस के खुलासे से संबंधित अपनी सफाई देने का प्रयास किया गया है। ध्यान से देखा जाए, तो यह सफाई नहीं कही जाएगी। इस बारे में वास्तव में यदि स्थिति को स्पष्ट करना ही था तो दोनों चुनाव आयुक्त, संधू और जोशी को सार्वजनिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए थी। ऐसा नहीं किए जाने पर आयोग में ज्ञानेश कुमार द्वारा एकतरफा, मनमाने निर्णय लेने की प्रक्रिया की ही पुष्टि होती है।

यदि इस विज्ञप्ति के आधार पर ज्ञानेश कुमार यह उम्मीद करते हैं कि उनके विरुद्ध जनता का आंदोलन समाप्त हो जाएगा, तो यह उनकी गलतफहमी ही होगी। इस विज्ञप्ति के माध्यम से ज्ञानेश कुमार ने एक प्रकार से अपना दोष ही स्वीकार किया है। यह वैसा ही है, जैसे कोई व्यक्ति जानबूझकर अपराध करे और बाद में उसे स्वीकार कर ले तो वह निर्दोष सिद्ध नहीं हो जाता।

अब तो स्पष्ट हो चुका है कि गलत निर्णयों और निर्देशों से किस प्रकार देश के करोड़ों मतदाताओं को बहुत परेशानी भुगतनी पड़ी। लाखों-करोड़ों मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में कट गए।

इस लेख में हम नागरिकों को हुई परेशानी का विश्लेषण, चुनाव आयोग द्वारा जारी की गई विज्ञप्ति के संदर्भ में करने का प्रयास करेंगे।

विज्ञप्ति में लिखा गया है कि अब से चुनाव आयोग की प्रत्येक मीटिंग का एजेंडा जारी किया जाएगा और उसके मिनिट्स भी जारी होंगे। यह बात हास्यास्पद लगती है, क्योंकि एजेंडा बनाना और मिनिट्स जारी करना तो किसी भी समिति के लिए सामान्य बात है। अब तक इस महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्था के द्वारा एजेंडा नहीं बनाया जाना और मिनिट्स जारी नहीं करना, क्या पूरी चुनाव प्रक्रिया के साथ खिलवाड़ नहीं है?

आयोग द्वारा कोई भी निर्णय, सामूहिक रूप से तीनों आयुक्तों की सहमति या बहुमत से लिया जाना अनिवार्य है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट से स्पष्ट हो चुका है कि कई महत्वपूर्ण निर्णय, दो चुनाव आयुक्तों की सहमति के बिना लिए गए थे। इनमें से कुछ पर तो इन्होंने लिखित आपत्ति भी दर्ज कराई थी। इसके बावजूद, आपत्तियों पर ध्यान देने के बजाए ज्ञानेश कुमार ने अपने स्तर पर ही आदेश जारी कर दिए। क्या इन आदेशों को आयोग का आदेश माना जा सकता है? क्या इस प्रकार लिए गए निर्णय और उसके आधार पर की गई सारी प्रक्रिया स्वत: अवैधानिक नहीं हो जाती है?

आयोग ने 26 सितंबर की बैठक में यह निर्णय लिया है कि आयोग द्वारा बनाए गए पोर्टल eci.net का इस दृष्टि से मूल्यांकन कराया जाएगा कि क्या इसके लागू होने से चुनाव संबंधी विभिन्न कानूनों की पालना सही तरह हुई है अथवा नहीं? यह काम आयोग के उप निर्वाचन आयुक्त की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा किया जाएगा, जिसमें IIIT या IIT का एक विशेषज्ञ भी सम्मिलित होगा। भविष्य में किसी भी नए सॉफ्टवेयर को तब ही आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा ,जब उक्त समिति भली भांति प्रथम दृष्टया उसका आंकलन कर ले। यह उल्लेखनीय है कि eci.net को लागू करने से पूर्व दोनों चुनाव आयुक्तों की सहमति नहीं ली गई थी, बल्कि उन्होंने तो इस पर आपत्ति व्यक्त की थी। इस नए सॉफ्टवेयर का ही परिणाम हुआ कि इलेक्टरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (ई आर ओ) जिनकी प्रमुख जिम्मेदारी होती है कि मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ें या हटाएं, उन्हें इस सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ऐसा करने का विकल्प ही नहीं दिया गया था। गोवा में तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना में जब ई आर ओ ने 97 नाम जोड़ने की कोशिश की तो वह नहीं जोड़ पाए। निर्वाचन आयोग को सात दिन में आठ बार लिखने पर भी कोई हल नहीं निकला। ये 97 व्यक्ति मतदाता सूची में जुड़ने से वंचित रह गए। इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना हुई। इसका जिम्मेदार ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग की आईटी सेल की मुखिया सीमा खन्ना को क्यों नहीं माना जाना चाहिए?

आयोग की उक्त बैठक में यह निर्णय भी लिया गया कि फॉर्म 6 के साथ अतिरिक्त घोषणापत्र की आवश्यकता, एस आई आर के बाद नहीं रहेगी। नए वोटर्स के लिए तो यह ठीक है, लेकिन पुराने मतदाता जिनका नाम कट गया है, उन्हें भी फॉर्म 6 फॉर्म भरना पड़ेगा और यह झूठा शपथ पत्र देना होगा कि उन्होंने कभी वोट नहीं दिया है। फॉर्म 6 में जो बदलाव किए थे, उन्हें वापस ले लिया गया है और अब 2002 की मतदाता सूची में माता-पिता या दादा-दादी का नाम होने के बारे में जानकारी देने हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा। यही वह प्रमुख बदलाव था, जिसके कारण करोड़ों मतदाताओं को बहुत परेशानी हुई। महाराष्ट्र और दिल्ली में जिन मतदाताओं के नाम कट गए हैं, वे अब 23 अक्टूबर, 2026 तक अपने दावे प्रस्तुत कर सकेंगे।

लोकतंत्र उतना ही मजबूत है, जितना निष्पक्ष चुनाव। चुनाव उतना ही निष्पक्ष हो सकता है जितनी मतदाता सूची सही है। जब मतदाता सूची ही इस प्रकार से लाखों मतदाताओं के नाम काटकर बनाई गई है तो फिर उसके आधार पर हुए चुनाव को कैसे वैध ठहराया जा सकता है?

अब चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि "लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी" वाले मतदाताओं को नोटिस नहीं दिया जाएगा और न उन्हें व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए कहा जाएगा। संबंधित बीएलओ मतदाता के घर जाकर उनसे संपर्क करके आवश्यक कार्रवाई कर लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी को दूर करेंगे। यदि यही करवाई पश्चिम बंगाल और दिल्ली में पहले ही कर ली जाती तो लाखों लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता और वे अपने मताधिकार से वंचित नहीं रहते। क्या लाखों लोगों को परेशान करने और उन्हें मताधिकार से वंचित करने के लिए किसी की जिम्मेदारी तय नहीं की जानी चाहिए? न केवल मुख्य चुनाव आयुक्त, बल्कि दोनों चुनाव आयुक्तों को भी भागीदार माना जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने भी इस बारे में सार्वजनिक रूप से कोई वक्तव्य जारी नहीं किया और एक प्रकार से मुख्य चुनाव आयुक्त के गलत काम में प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से सहयोगी बनते रहे। इसका सही उत्तर तो तभी मिल सकता है जब दोनों चुनाव आयुक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी स्थिति को स्पष्ट करें।

सत्ता समर्थक कई लोग अब भी एस आई आर के कारण नाम काटने को सही सिद्ध करने में लगे हुए हैं। वे इसकी पुष्टि में सुप्रीम कोर्ट के 27 मई, 2026 के आदेश का भी हवाला दे रहे हैं जिसमें एस आई आर की प्रक्रिया को सही मानते हुए उसे जारी रखने की अनुमति दी थी। उनका यह भी कहना है कि यदि एस आई आर को जानबूझकर सत्ताधारी दल के हित में किया गया था, तो फिर इसके आधार पर हुए केरल के चुनाव में कांग्रेस को विजय कैसे प्राप्त हो गई? यह एक कुतर्क है। यहां प्रश्न यह नहीं है कि विजय किस दल को प्राप्त हुई, या बल्कि यह है कि क्या मतदाता के अधिकार को संरक्षित करने के लिए चुनाव आयोग ने पर्याप्त व्यवस्थाएं की थीं? इसका उत्तर स्पष्टतया 'नहीं' है।ऐसे परिपत्र जारी कर दिए जिनके कारण मतदाताओं के साथ ही बीएलओ को भी बहुत मानसिक उत्पीडन झेलना पड़ा और कई बी एल ओ ने तो आत्महत्या तक कर ली। क्या चुनाव आयोग इन का जीवन वापस लौटा पाएगा? जो लाखों करोड़ों लोग मतदान से वंचित रह गए और जहां चुनाव हो गए, उन लोगों का अधिकार अब कैसे लौटा पाएगा?

लोकतंत्र उतना ही मजबूत है, जितना निष्पक्ष चुनाव। चुनाव उतना ही निष्पक्ष हो सकता है जितनी मतदाता सूची सही है। जब मतदाता सूची ही इस प्रकार से लाखों मतदाताओं के नाम काटकर बनाई गई है तो फिर उसके आधार पर हुए चुनाव को कैसे वैध ठहराया जा सकता है? यदि चुनाव अवैधानिक हुए तो क्या ऐसा करने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए ?

चुनाव आयोग की तरफदारी करते हुए कई लोग यह तर्क भी दे रहे हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए महाभियोग का प्रस्ताव दिया जा सकता है। पहले भी ऐसा प्रस्ताव दिया गया था जिसे लोकसभा अध्यक्ष ने मंजूर नहीं किया था तो अब इसे मंजूर कर लिया जाएगा, इसकी संभावना नगण्य है। वैसे भी, महाभियोग का निर्णय संख्या बल के आधार पर होता है और लोकसभा और राज्यसभा में सत्ताधारी दल का पूर्ण बहुमत है, अत: वहां पर महाभियोग का प्रस्ताव स्वीकृत होने की संभावना नहीं के बराबर है।

अब, जबकि चुनाव आयोग ने अपनी विज्ञप्ति से अपने दोष की स्वीकारोक्ति कर ली है, माननीय उच्चतम न्यायालय को संज्ञान लेते हुए वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त को काम करने से रोकना चाहिए। साथ ही, एस आई आर के आधार पर बनाई हुई सभी मतदाता सूचियों पर स्थगन देते हुए जून 2025 की मतदाता सूचियों के आधार पर, राज्यों में चुनाव कराने का आदेश जारी करना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के पास मौका है कि वह लोकतंत्र को पूरी तरह समाप्त होने से बचाने के लिए संविधान में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करे।

राजनीतिक दलों और कॉकरोच जनता पार्टी ने तो मुख्य चुनाव आयोग के विरुद्ध अभियान छेड़ ही रखा है। आशा है, जनता का दबाव, मुख्य चुनाव आयुक्त को इस्तीफा देने के लिए मजबूर करेगा ताकि नए योग्य, निष्पक्ष और स्वतंत्र मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति सरकार कर सके। दूध का जला छाछ भी फूंक-फूंक कर पीता है। अत: संभवतया नया मुख्य चुनाव आयुक्त पूरी सावधानीपूर्वक निष्पक्षता से काम करेगा।

चुनाव आयोग में जिस प्रकार अब विभिन्न प्रकार के मतदाताओं को राहत देने वाले सुधारात्मक संशोधन किए हैं, यदि इसी अनुसार वह प्रारंभ से कार्रवाई करता, तो संभव है, इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न ही नहीं होती और जनता का विश्वास चुनाव आयोग में कम नहीं होता। अब जो कार्रवाई चुनाव आयोग ने की है, वह बहुत थोड़ी और अत्यंत विलंब से है, जिसका कोई लाभ उसे नहीं मिलेगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार यदि यह सोचते हैं कि उनकी छवि इन कदमों से ठीक हो जाएगी और जनता का आक्रोश उनके प्रति कम हो जाएगा तो वे गलत ही सिद्ध होंगे।

फिलहाल तो, हम यही कहने पर विवश हैं कि "बड़ी देर कर दी हुजूर आते आते"।

–अतिथि सम्पादक,
राजेन्द्र भाणावत
(पूर्व आई. ए. एस. अधिकारी)

परीक्षा में शुचिता बनाम कानूनी जटिलता: एससी/एसटी अधिनियम के दुरुपयोग और समीक्षा की आवश्यकता

प्रो. (डॉ.) पी. सी. कंठालिया

शिक्षा किसी भी सभ्य समाज की नींव होती है और परीक्षाएं उस नींव की मजबूती को मापने का पैमाना हैं। परीक्षा हॉल में एक शिक्षक या निरीक्षक (इन्विजिलेटर) का प्राथमिक दायित्व यह सुनिश्चित करना होता है कि मूल्यांकन की प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष, पारदर्शी और शुचितापूर्ण हो। जब कोई शिक्षक अपनी इस आधिकारिक जिम्मेदारी का निर्वहन करता है, तो उसे व्यवस्था और कानून का पूर्ण संरक्षण मिलना चाहिए।

परंतु, हाल ही में आईआईटी बॉम्बे (में छात्रसाहिल वाकोडेकी आत्महत्या और उसके बाद परीक्षा निरीक्षकप्रोफेसर सूर्यनारायण डूला पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 (आत्महत्या के लिए उकसाना) तथा एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत दर्ज की गई एफआईआर ने देश में एक अत्यंत संवेदनशील बहस को जन्म दे दिया है यह घटना इस बात का ज्वलंत उदाहरण है कि कैसे एक कर्तव्यनिष्ठ प्रशासनिक या शैक्षिणक कार्रवाई को जातिगत रंग देकर कड़े सामाजिक कानूनों के दायरे में खींच लिया जाता है ऐसे में यह प्रश्न खड़ा होता है: क्या परीक्षा में अनुचित साधनों और नकल को रोकना भी अब अपराध की श्रेणी में आएगा? यह स्थिति अनिवार्य रूप से इस बात की मांग करती है कि समाज, न्यायपालिका और विधायिका इस कानून के बढ़ते दुरुपयोग और इसकी समीक्षा की आवश्यकता पर गंभीरता से विचार करें।

1. कर्तव्य का पालन बनाम कानूनी उत्पीड़न की विडंबना- आईआईटी बॉम्बे की घटना के तथ्य स्पष्ट करते हैं कि प्रोफेसर सूर्यनारायण डूला केवल मिड-सेमेस्टर परीक्षा में निरीक्षक के रूप में अपनी ड्यूटी कर रहे थे उन्होंने छात्र को परीक्षा के स्थापित नियमों के विरुद्ध स्मार्टफोन से नक़ल करते हुए रंगे हाथों पकड़ा और नियमानुसार इसकी रिपोर्ट संस्थान को दी सीसीटीवी फुटेज और प्राथमिक पुलिस जांच के अनुसार छात्र बिना किसी तीखी बहस के शांत तरीके से अपना सामान समेटकर बाहर निकला और अपनी आखिरी फोन कॉल में भी उसने केवल अपनी गलती व शैक्षणिक तनाव का जिक्र किया, किसी जातिगत भेदभाव या उत्पीड़न का नहीं।

इसके बावजूद प्रोफेसर डूला के विरुद्ध गंभीर कानूनी धाराओं में मामला दर्ज किया गया और उन्हें प्रशासनिक दायित्व से हटाकर अनिवार्य अवकाश पर भेजे जाने की कार्रवाई हुई। यह उल्लेखनीय है कि प्रोफेसर दूला को कई शैक्षणिक उत्कृष्टता और शिक्षण उत्कृष्टता के परुस्कार मिल चुके है। उन्होंने इलेक्ट्रिक पॉवर प्रोजेक्ट पर कार्य किया है एवं विशिष्ट अनुसन्धान परियोजना पर भी कार्य कर रहे हैं।

इसके बाद साहिल के माता-पिता ने आईआईटी बॉम्बे के डायरेक्टर डॉ. शिरीष केदारे और प्रोफेसर सूर्यनारायण डूला की गिरफ्तारी की मांग को लेकर अनशन शुरू कर किया। यह स्थिति निश्चित रूप से अत्यंत गंभीर और विडंबनापूर्ण है। एक ओर एक छात्र की दुखद मृत्यु ने उसके परिवार को गहरे आघात में डाल दिया है, वहीं दूसरी ओर उन संस्थान अधिकारियों और शिक्षक के विरुद्ध गिरफ्तारी की मांग की जा रही है, जिनके विरुद्ध लगाए गए आरोप अभी न्यायिक रूप से सिद्ध नहीं हुए हैं।

इस घटना का सबसे चिंताजनक पहलू यही है कि यदि परीक्षा में नियमों का पालन करवाने वाला शिक्षक बाद में गिरफ्तारी और सार्वजनिक दबाव के भय में रहने लगे, तो भविष्य में कितने शिक्षक नकल या अनुशासनहीनता के मामलों में कठोर कार्रवाई करने का साहस करेंगे? शिक्षक यदि परीक्षा कक्ष में यह सोचने लगे कि नियमों का पालन करवाना कहीं उसके लिए कानूनी संकट न बन जाए, तो परीक्षा की शुचिता और पूरी शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है।

2. एस.सी./एस.टी. अधिनियम के दुरुपयोग के ऐतिहासिक व न्यायिक उदाहरण- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 को समाज के सबसे वंचित और शोषित वर्ग को सुरक्षा प्रदान करने के पवित्र उद्देश्य से बनाया गया था। परंतु, समय के साथ इस कानून के कड़े प्रावधानों-जैसे कि बिना प्रारंभिक जांच के तुरंत एफआईआर और अग्रिम जमानत पर पूर्ण प्रतिबंध- का उपयोग व्यक्तिगत दुश्मनी भुनाने, व्यावसायिक प्रतिद्वंद्विता समाप्त करने और प्रशासनिक दबाव बनाने के एक हथियार के रूप में किया जाने लगा है।

भारतीय न्यायपालिका ने समय-समय पर इस कानून के बेलगाम दुरुपयोग पर गहरी चिंता व्यक्त की है और कई ऐतिहासिक फैसलों में इसके उदाहरण सामने आए हैं:–

सुभाष काशीनाथ महाजन बनाम महाराष्ट्र राज्य (2018):इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया था कि एस.सी./एस.टी. एक्ट का इस्तेमाल निर्दोष नागरिकों को ब्लैकमेल करने और लोक सेवकों को उनके आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करने से रोकने के लिए किया जा रहा है। अदालत ने पाया था कि प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों की कमी के कारण निर्दोष लोगों की स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा का हनन हो रहा है।

हितेष वर्मा बनाम उत्तराखंड राज्य (2020): सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में साफ किया कि किसी गैर-अनुसूचित जाति के व्यक्ति और अनुसूचित जाति के व्यक्ति के बीच का हर विवाद स्वत: ही इस एक्ट के तहत अपराध नहीं बन जाता। जब तक कि विवाद का मुख्य कारण या मंशा पीड़ित को उसकी जाति के आधार पर अपमानित करने की न हो, तब तक इस कानून को लागू नहीं किया जा सकता।

देश की विभिन्न अदालतों (जैसे इलाहाबाद, दिल्ली और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय) ने जमीन के आपसी विवादों, पैतृक संपत्तियों के झगड़ों और यहां तक कि दफ्तरों में जूनियर-सीनियर के बीच होने वाली सामान्य प्रशासनिक कार्रवाइयों में दर्ज कराई गई झूठी एफआईआर को रद्द करते हुए टिप्पणी की है कि इस विशेष कानून का इस्तेमाल निजी प्रतिशोधके लिए एक औजार की तरह किया जा रहा है।

3. राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े और जमीनी हकीकत- अधिनियम के दुरुपयोग की बात केवल मौखिक नहीं है, बल्कि देश की आधिकारिक सांख्यिकी भी इसकी गवाही देती है।राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के पिछले पांच वर्षों के आंकड़े दर्शाते हैं कि एस.सी./एस.टी. एक्ट के तहत दर्ज होने वाले मुकदमों में एक बहुत बड़ा हिस्सा पुलिस जांच के बाद झूठा या गलतफहमी के रूप में बंद कर दिया जाता है।

4. कानून की समीक्षा और संशोधन क्यों अनिवार्य है? (तार्किक आधार)-किसी भी गतिशील और न्यायप्रिय समाज में कोई भी कानून पत्थर की लकीर नहीं हो सकता। समय और परिस्थितियों के अनुसार कानूनों का मूल्यांकन और उनमें सुधार किया जाना आवश्यक है। एस.सी./एस.टी. अधिनियम की वर्तमान व्यवस्था निम्नलिखित कारणों से तात्कालिक समीक्षा की मांग करती है:

प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन: इस कानून में आरोपी को अग्रिम जमानत न मिलना और शिकायत दर्ज होते ही बिना किसी प्राथमिक जांच के सीधे गिरफ्तारी का प्रावधान है जो कि निर्दोषता के अनुमान (झ्रिल्स्ज़ूदह र्द घ्हहदमहम) के सार्वभौमिक कानूनी सिद्धांत को कमजोर करता है, जहां सारा बोझ आरोपी पर आ जाता है कि वह खुद को बेगुनाह साबित करे।

प्रशासनिक पंगुता (Administrative Paralysis): सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों, पुलिस और आईआईटी जैसे शीर्ष संस्थानों में अधिकारियों और शिक्षकों के मन में यह निरंतर भय बना रहता है कि यदि वे किसी नियम तोड़ने वाले कर्मचारी या छात्र के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई करेंगे, तो उन पर तुरंत काउंटर-ब्लास्ट के रूप में इस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया जाएगा। यह भय देश के प्रशासनिक ढांचे को कमजोर कर रहा है।

मुआवजा नीति का दुरुपयोग: वर्तमान नियमों के तहत एफआईआर दर्ज होते ही शिकायतकर्ता को एक निश्चित वित्तीय मुआवजा (आंशिक या पूर्ण) जारी कर दिया जाता है। कई आलोचकों और समाजशास्त्रियों का मानना है कि इस त्वरित वित्तीय लाभ के प्रावधान के कारण भी कई बार निहित स्वार्थों द्वारा झूठी प्राथमिकियां दर्ज कराने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है।

वास्तविक पीड़ितों के साथ अन्याय:जब इस विशेष कानून का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग होता है, तो समाज और व्यवस्था में इस कानून के प्रति एक अविश्वास की भावना पैदा होती है। इसका सबसे बड़ा नुकसान उन वास्तविक और गंभीर पीड़ितों को उठाना पड़ता है जो ग्रामीण या सुदूर क्षेत्रों में आज भी भयंकर जातिगत अत्याचारों का सामना करते हैं। झूठे मामलों की बाढ़ के कारण असली पीड़ितों की आवाज दब जाती है।

5. संतुलन का मार्ग: सुधार के व्यावहारिक सुझाव

कानून की समीक्षा का अर्थ इसे समाप्त करना कतई नहीं है, बल्कि इसके दुरुपयोग के छिद्रों को बंद करना है। निम्नलिखित सुधारों के माध्यम से एक संतुलित ढांचा तैयार किया जा सकता है:–

अनिवार्य प्रारंभिक जांच (Preliminary Inquiry): किसी भी लोक सेवक, शिक्षक या नागरिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने से पहले पुलिस उप-अधीक्षकस्तर के अधिकारी द्वारा कम से कम 7 दिनों के भीतर एक त्वरित प्रारंभिक जांच की जानी चाहिए, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि मामला कर्तव्य पालन या निजी विवाद का है अथवा वास्तव में जातिगत उत्पीड़न का।

न्यायिक छानबीन के बाद ही गिरफ्तारी: असाधारण मामलों को छोड़कर, जब तक पहली नजर में (Prima Facie) अपराध सिद्ध न हो या आरोपी के भागने का खतरा न हो, तब तक सीधे गिरफ्तारी पर रोक होनी चाहिए। झूठी शिकायतकर्ताओं पर दंडात्मक कार्रवाई: यदि अदालत में यह प्रमाणित हो जाता है कि शिकायत पूरी तरह से दुर्भावनापूर्ण, झूठी और प्रतिशोध की भावना से की गई थी, तो झूठी गवाही देने वाले व्यक्ति के खिलाफ भी कड़ी दंडात्मक और वित्तीय कार्रवाई का प्रावधान होना चाहिए, ताकि कानून का मजाक बनाने वालों में डर पैदा हो।

निष्कर्ष–आईआईटी बॉम्बे की घटना देश की शिक्षा व्यवस्था और हमारे कानूनी ढांचे के लिए एक गंभीर चेतावनी है। परीक्षा में नकल रोकना या अनुशासन का पालन करवाना किसी भी दृष्टिकोण से अपराध नहीं हो सकता यदि हम अपने शिक्षकों को उनके कर्तव्य पालन के बदले जेल की सलाखें और सामाजिक प्रताड़ना देंगे, तो हम एक नैतिक रूप से दिवालिया समाज का निर्माण कर रहे होंगे।

संसद और सर्वोच्च न्यायालय को इस कानून के मूल उद्देश्यों की रक्षा करते हुए, इसके कड़े और एकतरफा प्रावधानों की गहन समीक्षा करनी चाहिए। न्याय का तराजू ऐसा होना चाहिए जो शोषितों को पूर्ण सुरक्षा दे, लेकिन किसी भी बेगुनाह को व्यवस्था की वेदी पर बलि चढ़ने से भी रोके।

–प्रो. (डॉ.) पी. सी. कंठालिया, पूर्व विभागाध्यक्ष (मृदा विज्ञान) एवं मुख्य वैज्ञानिक।

रामगंजमंडी क्षेत्र में बहने वाली 'पाटली नदी' जीर्णोद्धार के बाद फिर जी उठी

मुख्यमंत्री बजट घोषणा वर्ष-2024-25 में पाटली नदी की दशा सुधारने का बेड़ा उठाया गया

कोटा, (निसं)। रामगंजमंडी क्षेत्र में बहने वाली पाटली नदी वर्षों से अतिक्रमण, गंदगी से अटी पड़ी थी और प्रवाह क्षेत्र इस तरह बाधित था कि यह विलुप्त होने के कगार पर नजर आती थी। मुख्यमंत्री बजट घोषणा वर्ष-2024-25 में पाटली नदी की दशा सुधारने का बेड़ा उठाया गया, जिसके तहत हुए जीर्णोद्धार एवं निर्माण कार्य की बदौलत इस नदी को मानो नया जीवन मिला है। नव निर्मित घाटों के बीच स्वच्छ बहती यह नदी आसपास के इलाके के लिए संजीवनी बनकर खुशी की लहर लाई है।

भारतीय सांस्कृतिक-भौगोलिक बसावट की तरह ही इस नदी के किनारे भी गांव, मंदिर, श्मशान घाट, विसर्जन घाट आदि मौजूद हैं। अत्यधिक अतिक्रमण तथा बहाव क्षेत्र में खानों का मलबा भरा हुआ था, जिससे इस नदी का बहाव क्षेत्र पूरी तरह बाधित हो गया था, जिसके कारण आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी। इस नदी से एक बड़ी मात्रा में पानी अनियंत्रित रूप से बहकर व्यर्थ चला जाता था, जिसका कोई उपयोग क्षेत्रवासियों को नहीं मिल रहा था।

अधीक्षण अभियंता जल संसाधन विभाग महेन्द्र कुमार ने बताया कि इस दुर्दशा को सुधारने के लिए नदी का सर्वेक्षण किया गया। इसके उपरांत इस नदी को पुनर्जीवित करने के लिए मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2024-25 में 5 करोड़ रूपये स्वीकृत किए गए, जिसका कार्य पूर्ण हो गया है और नदी अपने पुरातन स्वरूप में बहने लगी है।

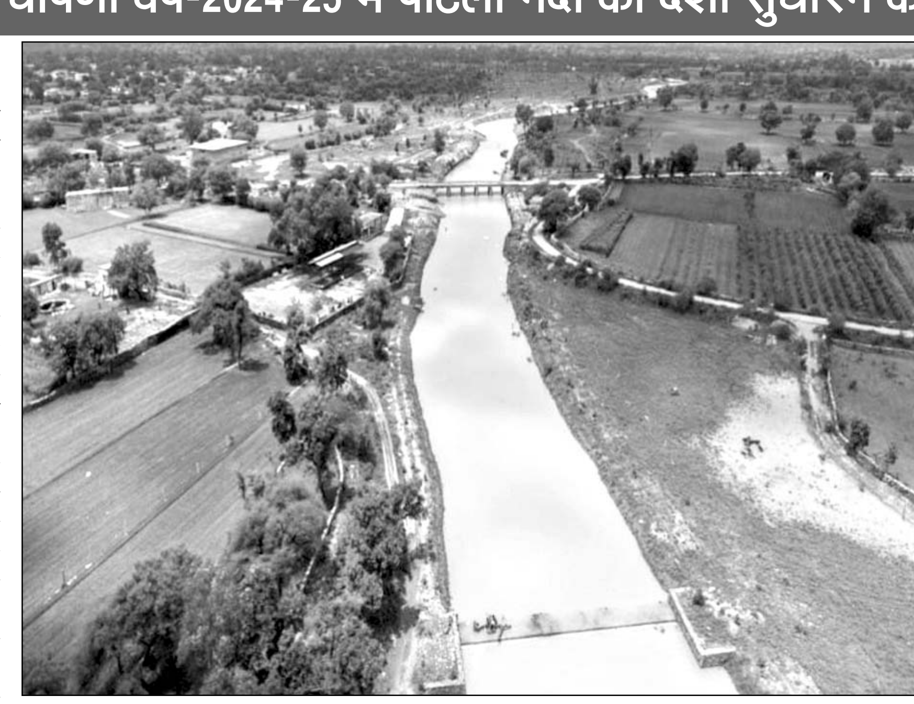

रामगंजमण्डी क्षेत्र में स्थित पाटली नदी पुन: बहने लगी है।

- **पाटली नदी वर्षों से अतिक्रमण, गंदगी से अटी पड़ी थी और प्रवाह क्षेत्र इस तरह बाधित था कि यह विलुप्त होने के कगार पर नजर आती थी**
- **मुख्यमंत्री बजट घोषणा अंतर्गत करवाए गए इस कार्य में पूरी नदी को अतिक्रमण मुक्त करके इसके बहाव क्षेत्र से मलबा हटाया**

ऐसे बदली सूरत :-मुख्यमंत्री बजट घोषणा अंतर्गत करवाए गए इस कार्य में पूरी नदी को अतिक्रमण मुक्त करके इसके बहाव क्षेत्र से मलबा हटाया गया। ऐतिहासिक जगह को देखते हुए जुल्मी हिरामन मंदिर के पास घाट का निर्माण कराया गया तथा मंदिर के पास पानी भराव के लिए पास में बने एनीकट का जीर्णोद्धार करवाया गया है तथा जुल्मी पुलिया के पास जहां जुल्मी गांव वालों के द्वारा मूर्ति विर्सजन किया जाता है, उस जगह घाट का निर्माण कार्य करवाया गया है, अमृतखेड़ी गांव के समीप श्मशान घाट के पास भी एक घाट का निर्माण कराया गया है तथा इसी तरह पायली गांव में मंदिर के पास भी घाट का निर्माण कराया गया है।

अधीक्षण अभियंता ने बताया कि चूंकि पाटली नदी से काफी मात्रा में पानी अनियंत्रित तरीके से बहकर चला जाता था, इस पानी को निकटवर्ती क्षेत्र में सिंचाई हेतु उपयोग लेने के उद्ददेश्य से मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2024-25 में सुरेड़ा गांव के पास एक एनीकट की मरम्मत का कार्य भी करवाया गया है, जिसमें पानी संग्रहीत किया जा चुका है। इसी वर्ष जल ग्रहण विभाग द्वारा भी सेमल्हेड़ी के पास एक नए एनीकट का निर्माण किया गया है। इस नदी की पानी की आवक को देखते हुए नदी पर बांध बना कर इसके पानी से आसपास के क्षेत्र की भूमि को सिंचित करने के उद्देश्य से बजट घोषणा 2024-25 में डी.पी.आर का कार्य भी किया जा रहा है। जिसकी स्वीकृति के उपरान्त इस नदी के पानी से आसपास के क्षेत्र को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

राशिफल

पंडित अनिल शर्मा

मंगलवार 29 सितम्बर, 2026

अश्विन मास, कृष्ण पक्ष, तृतीया तिथि, मंगलवार, विक्रम संवत-2083, अश्विनी नक्षत्र प्रात: 9:04 तक, हर्षण योग रात्रि 3:20 तक, विष्टि करण सायं 5:11 तक, चन्द्रमा आज मेष राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति– सूर्य-कन्या, चन्द्रमा-मेष, मंगल-कर्क, बुध-कन्या, गुरू-कर्क, शुक्र-तुला, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह

आज सर्वार्थ सिद्धि और अमृत सिद्धि योग सूर्योदय से दिन 9:04 तक है। राजयोग दिन 9:04 से सायं 5:11 तक है। भद्रा प्रात: 6:12 से सायं 5:11 तक रहेगी। आज तृतीया का श्राद्ध है। आज चतुरथी व्रत है।

श्रेष्ठ चौघड़िया– चर 9:20 से 10:48 तक, लाभ अमृत 10:48 से 1:46 तक, शुभ 3:15 से 4:44 तक।

राहुकाल– 3:00 से 4:30 तक, सूर्योदय 6:22, सूर्यास्त 6:12

मेष

मानसिक तनाव दूर होगा। मन:स्थिति ठीक रहेगी। व्यक्तिगत प्रयासों से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। आज आवश्यक कार्य योजनानुसार बनने लगेंगे।

वृष
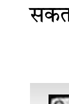
घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। मन में असंतोष बना रहेगा। आज अनर्गल कार्यों में समय खराब हो सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

मिथुन
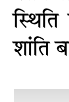
आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। संभावित स्त्रोत से धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी।

कर्क
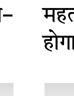
व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

सिंह

नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी।

कन्या

अपनी कार्य योजना को सीमित रखें। चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान हो सकता है। आज यात्रा में परेशानी हो सकती है।

तुला
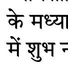
अपने अति कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। व्यावसायिक अनुबंध प्राप्त होंगे। दिन के मध्यान्ह पश्चात चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है।

वृश्चिक
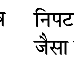
स्वास्थ्य संबंधित चिन्ता दूर होगी। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। विवादित मामलों का निपटारा हो सकता है। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा।

धनु

परिजनों के व्यवहार के कारण दु:ख हो सकता है। आपसी ईर्ष्या-वैमनस्यता के कारण परेशानी हो सकती है। घर-परिवार में स्वास्थ्य संबंधित परेशानी हो सकती है।

मकर
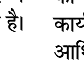
परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। परिजनों के सहयोग से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। परिवार में धार्मिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

कुंभ

व्यावसायिक अड़चनें दूर होने लगेंगी। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। नौकरीपेशा व्यक्तियों को भागदौड़ से राहत मिलेगी।

मीन

व्यावसायिक कार्यों के संबंध में उचित सोच-विचार हो सकता है। उचित कार्य योजना बनेगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। आय में वृद्धि होगी।